



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-...../सी-5/142/OA सं० 430/23

दिनांक..... 10/10/23

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regarding Factual and Action Taken Report in OA no. 430/2023 Rajendra Singh V/s State of Uttar Pradesh passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 01.08.2023.

Sir,

In compliance to the order dated 01.08.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in OA no. 430/2023 Rajendra Singh V/s State of Uttar Pradesh the Factual Action Taken Report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)

**Chief Environmental Officer,
Circle-5**

Copy to:

1. Member Secretary, UPPCB, Lucknow.
2. District Magistrate, Sultanpur.
3. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
4. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
5. Regional Officer, UPPCB, Raebareli.

**Chief Environmental Officer,
Circle-5**

5

Action Taken Report on behalf of UPPCB in compliance to the order dated 01.08.2023 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O. A. No. 430 of 2023 in reference Rajendra Singh V/s State of Uttar Pradesh: -

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 01.08.2023 in O. A. No. 430 of 2023 in reference Rajendra Singh V/s State of Uttar Pradesh has passed the following order:

"...3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.202"

That with most respectfully in pursuance to the order dated 01.08.2023 the Action Taken Report is as under:

1. The Joint Committee has inspected the brick fields M/s Mahalaxmi Ent Bhatta, Village-Dariyapur (Luharepur), Post-Vallipur, District-Sultanpur, M/s Maa Vaishno Brick Field (Shri Shivam Jaisawal, Partner), Village Ramnagar, Post-Saraiya Mafi, District-Sultanpur and M/s Adarsh Ent Udyog (ABF), Village-Rasulpur, Post-Vallipur, District-Sultanpur on dated 14.08.2023. Joint Committee inspection report is annexed as **Annexure no. 1, 2 and 3**).
2. M/s Mahalaxmi Ent Bhatta, Village-Dariyapur, Post-Vallipur, District-Sultanpur has obtained CTO from the Board which is valid upto 31.07.2025 at the time of inspection the unit was found closed due to off season (The copy of CTO is enclosed as **Annexure no. 4**).



6

(2)

3. A closure order has been issued against M/s Maa Vaishno Brick Field (Shri Shivam Jaisawal, Partner), Village Ramnagar, Post-Saraiya Mafi, District-Sultanpur vide letter dated 21.09.2023 and the unit is closed in compliance of closure order. (The copy of closure order is enclosed as **Annexure no. 5**)
4. A closure order has been issued against M/s Adarsh Ent Udyog (ABF), Village-Rasulpur, Post-Vallipur, District-Sultanpur vide letter dated 15.07.2021 and the unit is closed in compliance of closure direction. (The copy of closure order is enclosed as **Annexure no. 6**)

Therefore, the Action Taken Report of the UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal, New Delhi.

Lucknow :

Your's Sincerely,

Date :



(Dr. Ram Karan)

Chief Environmental Officer (Circle-5)
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
 रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 450/MGT OA 430/2023/R/2023-24

दिनांक- 04/10/23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्टे मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो०-वल्लीपुर, थाना व तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर, मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर, मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा, ग्राम-दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो०-वल्लीपुर, थाना व तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-14.09.2023 को किया गया। संयुक्त कमेटी की जांच आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किए जाने हेतु संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है। कृपया अवगत हों कि प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि दिनांक-12.10.2023 नियत है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी 04/10/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

8

मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा (प्रोपराईटर श्रीमती सुन्दरकली), ग्राम-दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्ठा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.2023....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-353/ओ0ए0-430/2023/2023-24 दिनांक-10.08.2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्ठा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्ठे मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा, ग्राम-दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-14.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राहुल जायसवाल उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा सीजन न होने के कारण संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 25 किमी0 दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित वल्लीपुर चौराहे से लगभग 3.0 किमी0 की दूरी पर स्थित ग्राम-लहुरेपुर, जगदीशपुर में स्थापित है। ईट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.416692, 81.928372 है।


9


(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना वर्ष 1998-99 में की गयी थी। ईट भट्ठे की स्थापित क्षमता 22 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 115 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में ईट भरी हुयी पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का वित्तीय वर्ष 2022-23 का जिला पंचायत अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने परन्तु पंचायत का सम्पत्ति विभव कर तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा होने की पुष्टि हुई।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 1.0 किमी० की दूरी पर ग्राम-पूरे भोला तिवारी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 430 मीटर की दूरी पर ग्राम-रैनापुर की आबादी लगभग 20-25 घर (लगभग 100-125 व्यक्ति), उत्तर दिशा में लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-जगदीशपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 350 मीटर पर ग्राम-लहुरेपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति) स्थित है।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को संचालन हेतु नियमानुसार सहमति (जल/वायु) 31.07.2025 तक की अवधि हेतु निर्गत है। ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा निर्गत सहमति की शर्तों के अनुपालन के क्रम में अधिकृत प्रयोगशाला से चिमनी की अनुश्रवण आख्या दिनांक-05.05.2021 व दिनांक-05.06.2023 उपलब्ध कराया गया है। निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईट भट्ठा स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप पाया गया।

(v) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि ईट भट्ठे की स्थापना निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 1998-99 में की गयी थी। तत्समय ईट भट्ठा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुसार स्थापित किया जाना प्राविधानित था। ईट भट्ठे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थापना स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप पाया गया। वर्तमान में ईट भट्ठे को संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति (जल/वायु) 31.07.2025 तक की अवधि हेतु निर्गत है। ईट भट्ठा सीजन ऑफ होने के कारण संचालन में नहीं है।


(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञा० सहा०
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(सुभाष सिंह)
जिला खान अधिकारी
सुल्तानपुर


(हरिओम प्रसाद चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
सुल्तानपुर


(विदुषी सिंह)
उप जिलाधिकारी
तह०-बल्दीराय,
सुल्तानपुर

मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड (पार्टनर श्री शिवम जायसवाल), ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्ठा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.2023....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-353/ओ0ए0-430/2023/2023-24 दिनांक-10.08.2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्ठा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्ठे मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, पो0-सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-14.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री शिवम जायसवाल, (पार्टनर) उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा सीजन न होने के कारण संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 20 किमी0 दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित सरैयामाफी चौराहे से लगभग 2.0 किमी0 की दूरी पर स्थित ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी में स्थापित है। ईट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.397908, 81.945231 है।

11

(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2013-14 में की गयी थी। ईट भट्ठे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 120 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में ईट भरी हुयी पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का वित्तीय वर्ष 2022-23 का जिला पंचायत अनुज्ञा पत्र/सम्पत्ति विभव कर जमा न होने परन्तु खनन विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 का विनियमन शुल्क जमा होने की पुष्टि हुई।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पूरे चेती दुबे तत्पश्चात लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चेती दुबे की आबादी लगभग 35-40 घर (लगभग 175-200 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 तक कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात ग्राम-चकमुसी की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-रामनगर की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-पूरे कुटवन की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) स्थित है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चकमुसी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति) स्थित है।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईट भट्ठा स्थल वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया।

(v) ईट भट्ठे द्वारा स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने तथा संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन में न होने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच01055/सी-5/आर/ईट-235/23 दिनांक-21.09.2023 के माध्यम से ईट उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत किया गया है।

(vi) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश/निर्देश के अनुपालन में ईट उद्योग का संचालन किसी भी दशा में न किए जाने हेतु ईट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या-439/एम-35/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

(vii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि ईट भट्ठे की स्थापना निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 2013-14 में की गयी थी। तत्समय ईट भट्ठे की स्थापना हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था। ईट भट्ठे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थापना स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत है और ईट भट्ठा सीजन न होन के कारण से संचालन में नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय,


Agarwal

Nkav p

12


उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-439/एम-35/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को निर्गत बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।


(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञा० सहा०
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(सुभाष सिंह)
जिला खान अधिकारी
सुल्तानपुर


(हरिओम शाश्वत चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
सुल्तानपुर


(विदुषी सिंह)
उप जिलाधिकारी
तह०-बल्दीराय,
सुल्तानपुर

13

मैसर्स आदर्श ईट उद्योग (प्रोपराईटर श्रीमती कौशिल्या देवी), ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्टा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.2023....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-353/ओ0ए0-430/2023/2023-24 दिनांक-10.08.2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट उद्योग, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्टा रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्टे मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-14.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री दिनेश जायसवाल उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 25 किमी0 दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित रसूलपुर चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम-रसूलपुर में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.409925, 81.891422 है।

(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्टे की स्थापना वर्ष 2005-06 में की गयी थी। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता 17 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्टे में गैसीय उत्सर्जकों के

Agarwal

Kan

Sharma

Sharma

14

निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 105 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च खाली पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन बन्द किया जाना अवगत कराया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठा का संचालन बन्द किए जाने की सूचना पत्र दिनांक-30.04.2022 एवं दिनांक-07.04.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का वित्तीय वर्ष 2022-23 का जिला पंचायत अनुज्ञा पत्र/सम्पत्ति विभव कर तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा न होने की पुष्टि हुई।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-चक फाजिलपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम-रसूलपुर की आबादी लगभग 30-40 घर (लगभग 150-200 व्यक्ति), उत्तर दिशा में हलियापुर-कुडवार रोड के दोनों तरफ (व्यावसायिक-आवासीय मिश्रित क्षेत्र) लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगभग 50-60 घर (लगभग 250-300 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-मोहम्मदपुर-काजीपुर की आबादी लगभग 40-50 घर (लगभग 200-250 व्यक्ति) स्थित है।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईट भट्ठा स्थल स्थापना के समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों तथा वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया।

(v) ईट भट्ठे द्वारा स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने के दृष्टिगत पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63465/सी-5/सा०-546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से ईट उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी निर्देश निर्गत किया गया था। जो अद्यतन प्रभावी है।


(vi) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट उद्योग का संचालन किसी भी दशा में न किए जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या-440/ए-43/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है।

(vii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि ईट भट्ठे की स्थापना निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 2005-06 में की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के कार्यालय अभिलेखानुसार ईट उद्योग को स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्ठा स्वामी द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक-15.07.2021 के अनुपालन में ईट भट्ठे को स्वतः बन्द कर दिया गया है। जिसकी लिखित सूचना भी ईट भट्ठे द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली को दी है। ईट भट्ठे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थापना स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

15

तथा वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बन्दी निर्देश निर्गत है और ईट भट्ठा का संचालन स्वतः बन्द कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-440/ए-43/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को निर्गत बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।



(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञा० सहा०
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली



(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली



(सुभाष सिंह)
जिला खान अधिकारी
सुल्तानपुर



(हरिओम नारायण चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
सुल्तानपुर



(विदुषी सिंह)
उप जिलाधिकारी
तह०-बल्दीराय,
सुल्तानपुर

16

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

पत्र संख्या- 353/0.A.-430/2023/2023-24

दिनांक- 10/8/23

-आदेश-

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड, ग्राम-लहुरेपुर, मैसर्स शुभम ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्टा ग्राम-रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.2023.

तत्कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.08.2023 के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टे से सम्बन्धित प्रकरण की जाँच कराए जाने हेतु निम्नानुसार जाँच समिति का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्तानुसार गठित जाँच समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ईट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या एक सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि कृत कार्यवाही से माननीय अधिकरण को ससमय अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

/

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।

17



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppeb.com, Website: www.uppeb.com

CONSENT ORDER

Ref No. -
100954/UPPCB/Raebareli(UPPCBRO)/CTO/air/SULTANPUR/2020

Dated : 26/09/2020

To ,

Shri SUNDAR KALI
M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA
VILL DARIYAPUR POST VALLIPUR SULTANPUR U.P,SULTANPUR,227812
SULTANPUR

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. MAHA LAXMI ENT BHATTA

Reference Application No. 9251815

Dated : 26/09/2020

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 09/08/2020 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Amit Mishra Digitally signed by Amit Mishra
Date: 2020.10.04 14:50:02
+05:30
Regional officer

**Enclosed : As above
(condition of consent):**

Copy to: Chief Environment Officer (5), UP, Pollution control board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

Amit Mishra Digitally signed by Amit Mishra
Date: 2020.10.04 14:50:02
+05:30
Regional officer

18

U.P. Pollution Control Board

Dated : 26/09/2020

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of 25000 brick/day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	Brick Stack	coal/agriculture residue 4.0 ton/day	1	Particulate Matter	115 Feet above ground level

- 3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	1	Particulate Matter	as per CPCB norms

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

On the basis of observations made in inspection report of M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA, VILL DARIYAPUR POST VALLIPUR SULTANPUR U.P, SULTANPUR recommended for grant of conditional consent (Air) with following special conditions:-

- 1- Brick kiln shall ensure adequate plantation and proper green belt around the premises.
 - 2- Brick kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed rejected.
 - 3- Brick kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
 - 4- Brick kiln should fully comply the conditions mention in environmental CLEARANCE.
 - 5- Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc.
 - 6- Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
 - 7- Brick kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
 - 8- The brick kiln should ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22-07-2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.
 - 9- The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act, 1986
 - 10- The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lightning attack.
 - 11- Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
 - 12- Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
 - 13- The brick kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated emission standard.
 - 14- Stack emission monitoring test should be carried out from Environment (Protection) Act, 1986 approved laboratory/NABL laboratory by the brick kiln and submit monitoring report to the Board within two months.
 - 15- Proposal of Zig-zag technology should be submitted as earliest with time bound program.
 - 16- The Brick Kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.
 - 17- The Brick kiln fine dust not to accumulate all around the Brick kilns.
 - 18- This consent will be automatically rejected on receiving of any complaint against brick kiln.
- Please note that consent to operate will be revoked, in case of non compliance to any of the above mentioned conditions, Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions in One month in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise the Consent to operate will be revoked.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Amit Mishra
Regional officer

Digitally signed by Amit Mishra
Date: 2020.10.04 14:50:45
+05'30'

20

GSTIN:09AARFG5353K1Z5



Global Environmental Consultancy And Research Centre

2/390 A, Vibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

An ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 Certified Laboratory

Accredited by NABL

Mob:+91-9454278891, 7607377997, 8960040004, 8299682829 E-mail:infogecrc@gmail.com

TEST REPORT (Source Emission)

Report No. GECRC/ST/23/06/05/001

Reporting Date: 05.06.2023


Name & Address of Party	M/s, MAHALUXMI ENTHIATTA Vill- Dariyapur, Post-Wallipur Dist- Sultanpur (U.P.)		
Client Representative (Name & Designation)	-	Sample Description	Brick Kilns Stack (16500 Bricks per day)
Sample Collected by (Name & Designation)	Sampling Staff	Sample Number	GECRC/ST/23/05/30/001
Date of Sampling & Time	30.05.2023 & 13:30	Format No.	7.5 F-03
Sampling Location & Code	Brick Kilns	Party Ref. No	-
Sampling Duration (Minutes)	40	Receipt Date	30.05.2023
Operating Schedule (Hrs./day)	As per requirement	Latitude	-
Scope of Monitoring	Environment Monitoring	Longitude	-
Purpose of Monitoring	Compliances Requirement	Stack attached to	Brick Kilns
Control measure if any	Gravity settling chamber	Diameter of Stack	1.4 mtr.
Meteorological Condition	Clear Sky	Make of Stack	BCC
Operating condition at the time of sampling	Clear	Height of Stack	38 mtr.
Instrument code	GECRC/EQP/05	(i) From the Source of emission	Brick Kilns
Instrument calibration status	Calibrated	(ii) From roof level	-
Ambient Temperature - Ta (°C)	39	(iii) From Ground Level	-
Temperature of Stack Gases - Ts (°C)	124.7	Type of fuel used	Coal
Velocity of Stack Gases (m/ sec.)	4.9	Flow rate of PM (LPM)	23
Volumetric Flow (NM ₃ / Hr.)	22895.5	Flow rate of Gas (LPM)	02
Parameter Required	Particulate Matter (PM)	Sampling condition	Isokinetic
		Protocol used	IS: 11255& CPCB Guidelines

RESULTS

S. No.	Parameters	Test Method /Protocol	Unit	Results	Standards*
1	Particulate Matter (PM)	IS: 11255 (Part-1)	mg/Nm ³	567.2	750

*Environment Protection Rules 1986 Schedule I, S. No. 70, Page No.-459 Boiler (Small)

Checked by: Neha

Authorized Signatory

 Name: Raj Kumar
 Designation: Technical Manager

****End of the Report****

Note:

- This report is not to be reproduced wholly or in part and cannot be used as evidence in the court of law and should not be used in any advertising media without our special permission in writing.
- The sample will be destroyed after 15 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified.
- Any discrepancy in test result should be reported within 15 days.
- The above Results are related to the tested Sample Only.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-..... H01015 / सी-8 / 2 / ईट - 235 / 23

दिनांक..... 21/09/23
पंजीकृत

सेवा में

मैसर्स भो वैष्णो त्रिक फील्ड,
ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतागंज, तहसील-बल्दीराय,
जिल्ला-सुल्तानपुर।

यह कि मैसर्स भो वैष्णो त्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतागंज, तहसील-बल्दीराय, जिल्ला-सुल्तानपुर जिसे द्वारा कच्चे भाल के रूप में गिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उक्त ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टे के ट्रेन्च में ईट भरी होने के कारण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका। ईट भट्टा वर्ष 2014 से संचालित है।

यह कि निरीक्षण आख्यानानुसार ईट उद्योग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं है। राज्य बोर्ड से अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त न होने की वजह से ईट भट्टे पर वर्ष 2012 में जारी ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी होगी। ईट भट्टा स्थल निरीक्षण के समय उक्त नियमावली के अनुरूप नहीं पाया गया है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि:

.....21. Restrictions on use of certain industrial plant.--

(4) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टा की चिमनी से पूरव दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पूरे चेती दुबे तत्पश्चात लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चेती दुबे की आबादी लगभग 35-40 घर (लगभग 175-200 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 तक कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात ग्राम-चकमुसी की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-रामनगर की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-पूरे कुटवन की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) स्थित है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चकमुसी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति) स्थित है, जो कि ईट भट्टे की स्थापना हेतु उ0प्र0 शासन पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या-921/55-पर्या0/12-97 (पर्या0)/11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-418/एग-35/एस/2023-24 दिनांक 15.09.2023

...2

टी.सी.-12 वी, विभुति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

द्वारा ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा- 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्टा मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध निम्नवत् बन्दी आदेश/निर्देश जारी किया जाता है:-

1. मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर की विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
3. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खनन अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सतत अनुश्रवण रखें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

१/२



23

-5



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक-439/M-35/S/2023-24

दिनांक-27/9/2023

सेवा में,

मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड,
ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज,
तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

विषय-ईट भट्टे के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि ईट भट्टे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा आपके ईट भट्टे की जांच दिनांक-14.09.2023 को की गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्टे को स्थापना पूर्व अनापत्ति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्टे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच०1055/सी-5/आर/ईट-235/23 दिनांक-21.09.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत किया गया है।

तत्कम में बन्दी निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें। बन्दी निर्देश जारी होने के पश्चात ईट भट्टे का संचालन पाये जाने पर ईट भट्टे के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 27/09/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-सुल्तानपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश 24 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63465/सी-5/सा0-546/21/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Adarsh Ent Uddyog,
Rasoolpur, Sadar, Sultanpur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-5)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-5)



25
 क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
 रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक-440/A-43/S/2023-24
 सेवा में,

दिनांक- 27/9/2023

मैसर्स आदर्श ईट उद्योग,
 प्रो० श्रीमती कौशिल्या देवी,
 ग्राम-रसूलपुर, पो०-वल्लीपुर,
 थाना व तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

विषय-ईट भट्ठे के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि ईट भट्ठे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा आपके ईट भट्ठे की जांच दिनांक-14.09.2023 को की गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना पूर्व अनापत्ति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्ठे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63465/सी-5/सा०-546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। कृपया सूच्य हो कि आप द्वारा अपने पत्र दिनांक-07.04.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे का संचालन स्वयं बन्द किए जाने की सूचना भी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

तत्क्रम में बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बन्दी आदेश के अनुपालन एवं अपने पत्र दिनांक-07.04.2023 के क्रम में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न करें। बन्दी आदेश जारी होने के पश्चात ईट भट्ठे का संचालन पाये जाने पर ईट भट्ठे के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।
 संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

[Signature]
 (प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी 27/9/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-सुल्तानपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

[Signature]
 क्षेत्रीय अधिकारी 27/9/23

Received by hand 30/4/22

IN : 09AMRPD9933G1ZK

Mob.: 9452312195

आदर्श ईट उद्योग

रसूलपुर, वल्लीपुर, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 227812

पत्रांक

दिनांक 30/4/22

जिससे शैली-आधिकारी प्रमुख विप्लव वि.
राजवरेली

बेहोदय

आपका जन्म कराना है कि आपके कार्यालय के सभी
कार्यों के पालन में मेरे द्वारा आदर्श
उद्योग रसूलपुर वल्ली मुसाफिरखाना का (न्याय) का
कदम रखा है.

आदर्श ईट उद्योग
विशेष चार्ज जम्हाई
प्रोवाइटर
वाहे कार्यालय के

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी० ब्लाक—इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली।

Dairy No..... 40
File No..... A-43/5
Letter Sl. No..... 15/4/23
Checked By.....

विषय— प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर
वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर भट्ठा बंदी
सूचना के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील—बल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर थी प्रार्थिनी के उक्त भट्ठा पर भूमि मिट्टी समाप्त हो जाने एवं काश्तकार से मिट्टी पुनः न मिलने से व पुनः एग्रीमेंट न हो पाने से उक्त भट्ठा पर ईट निर्माण माह जुलाई 2022—2023 से पथाई, फुकाई, कार्य बंद हो गया है। प्रार्थिनी अपने उक्त फर्म की भट्ठा बंदी सूचना श्रीमानजी को दे रही है।

अतः श्रीमानजी से करबद्ध प्रार्थना है कि भट्ठा बंदी सूचना स्वीकार किये जाने की कृपा की जाय।

संलग्नक—शपथ पत्र मूल रूप से।

प्रार्थिनी— कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील—बल्दीराय
जिला सुलतानपुर
दिनांक—0704 2023
मो० नं०—8808618745

15/4/23

ayush
20/4/23

Item No. 08

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 430/2023

Rajendra Singh

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent

Date of hearing: 01.08.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Application is registered based on a letter petition received by E-mail

ORDER

1. The grievance in the present application is that M/s Mahalaxmi Int Udyod, Luherpur Vallipur, M/s Shivam Brickfield Ramnagar and M/s A.B.R Int Bhatta Rasulpur, District Sultanpur, Uttar Pradesh are being illegally operated in violation of the environmental norms, without CTE/CTO from UPPCB, without payment of the requisite royalty taxes etc., causing air pollution in the area posing health hazards to the residents of the locality and adversely affecting the agriculture and fruit bearing trees.

2. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual

position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Sultanpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 12.10.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the UPPCB and DM, Sultanpur by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 01, 2023
Original Application No. 430/2023
JG